

कार्यालय प्रमागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मुरादाबाद।

(एल-25, रामगंगा विहार, फेस-प्रथम, सोनकपुर स्टेडियम, कॉठ रोड, मुरादाबाद-दूरभाष सं०-0591-2450066)

पत्रांक - 16 / 14-1 दिनांक, मुरादाबाद, जुलाई, 19 2018.

सेवा में,

✓ वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,  
मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

विषय:-

जनपद मुरादाबाद में भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि०, मेरठ द्वारा ग्राम चक फाजलपुर तह० बिलारी मे चन्दौसी मुरादाबाद मार्ग (एन०एच०-93) कि०मी० चैनेज संख्या-222.036 की बॉयी पटरी पर खसरा संख्या-82 पर पेट्रोल पम्प के संपर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.154557 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के संबन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक क्रम में अवगत कराना है कि जनपद मुरादाबाद में प्रादेशिक प्रबन्धक, (रिटेल) भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि०, मेरठ द्वारा ग्राम चक फाजलपुर तह० बिलारी मे चन्दौसी मुरादाबाद मार्ग (एन०एच०-93) कि०मी० चैनेज संख्या-222.036 की बॉयी पटरी पर खसरा संख्या-82 पर पेट्रोल पम्प के संपर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.154557 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति चाही गयी है, जिस कारण वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत वन भूमि हस्तांतरण का प्रस्ताव भारत सरकार/शासन को प्रेषित किया जाना है।

अतः वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अनुसार निर्धारित प्रपत्रों में विषयक प्रस्ताव एम०ओ०ई०एफ० वेवसाईट पर डी०एफ०ओ०, मुरादाबाद के स्तर से फार्म-11 अपलोड कर दिया गया है तथा प्रस्ताव 4 प्रतियों में संलग्न कर संस्तुति सहित प्रेषित किया जा रहा है। कृपया अपने स्तर से अग्रिम कार्यवाही कर प्रस्ताव उच्च स्तर को प्रेषित करना चाहें।

संलग्नक-प्रस्ताव की 3 प्रतियाँ मूल में।

भवदीय,

MC

(कन्हैया पटेल)

प्रमागीय निदेशक,  
सामाजिक वानिकी प्रभाग,  
मुरादाबाद।

Shm

पत्रांक

/

दिनांकित।

प्रतिलिपि श्री कुमार अविनाश, प्रादेशिक प्रबन्धक, (रिटेल) भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि०, आबू का मकबरा केसरगंज, मेरठ-250002 को विषयक क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(कन्हैया पटेल)

प्रमागीय निदेशक,  
सामाजिक वानिकी प्रभाग,  
मुरादाबाद।